न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला–उदयपुर (राज.)

क्रमांकः– राजस्व / कोर्ट / 2025 / 01/2017   दिनांकः– 04.04.2025

निमितः–

तहसीलदार,

झाडोल।

विषयः– निर्णय की पालना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 03/2015 राजस्व वाद उनवान श्री तेजा पिता नाथा खोखरिया/भील निवासी चेचलाया तहसील झाडोल वगैरह बनाम श्रीमती डाली पिता वीरमा खोखरिया पत्नी रतन कसोटिया निवासी चांगला तहसील झाडोल वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2016 की पालना में आप द्वारा अवगत कराया कि मौजा चेचलाया पटवार क्षेत्र चन्दवास तहसील झाडोल की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 37 में श्री उदा के वारिसान में पुत्रियाँ प्रतापी, भंवरी, सुनकी पिता उदा भी दर्ज है, लेकिन डिक्री में पुत्रियों के नाम दर्ज नही है। इस सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन चाहा गया है। इस सम्बन्ध में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

मौजा चेचलाया, पटवार सर्कल चन्दवास, तहसील झाडोल की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 37 में वर्णित आराजियात किता 48 कुल रकबा 4.8500 है0 एवं खाता संख्या 33 में वर्णित आराजियात किता 02 कुल रकबा 0.9500 है0 भूमि में वादी संख्या 01 को 1/6 हिस्से, वादी संख्या 02 को 1/12 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 01 को 1/6 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 02 को 1/12 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 03 (01 से 06 देवीलाल, वेलाराम, सुनकी, भमरी, प्रताबी पिता उदा, दीतलीबाई बेवा उदा) उदा के वारिसान को 1/4 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 4 को 1/4 हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

संलग्नः– निर्णय, डिक्री एवं संशोधित अनवान की प्रति।

उपखण्ड अधिकारी झाडोल
जिला–उदयपुर